|

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार।

Email ID-eefcdkatihar@gmail.com

पत्रांक.....415..... /कटिहार, दिनांक.....30.03.2026.....

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०– 06/ 2025–26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण वाहन मालिक को सूचित किया जाता हैं कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार अंतर्गत मुख्य अभियंता के उपयोग हेतु 01 अदद् ए०सी० वाहन यथा स्कॉर्पियो (S11 चालक रहित) अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से मुहरबंद दर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक 30.03.2026
2. कोटेशन जमा करने की तिथि :– दिनांक 08.04.2026 3:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान :– बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 08.04.2026 को अपराह्न 3:30 बजे
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार। मो0– 07463889238

30.03.26

कार्यपालक अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार

शर्ते निम्नवत है :–

1 .भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।. व्यवसायिक निबंधन वाले वाहन नहीं होने पर सामान्य निबंधन वाले वाहन पर भी विचार किया जा सकता है।

2. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	ईधन रहित तथा चालक रहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा जी0एस0टी0, आई0टी0 इत्यादि सहित

3. वाहन का निबंधन व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए एवं उन्हें व्यवसायिक उपयोग हेतु बिहार राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार के स्तर से परमिट प्राप्त होना चाहिए (वाहन पीले नंबर प्लेट वाला व्यवसायिक वाहन होना चाहिए)।

4. भाड़े पर दिया जाने वाले वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए इसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र मोटरयान निरीक्षण (MVI) से कराकर प्रस्तुत करना होगा।

5. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक रहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

6.. वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करो अर्थात् जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदैयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायगा।

7. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।

8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा क्षति होने पर जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

9. वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिमाह ईधन रहित एवं चालक रहित देय होगा।

10. वाहन का ईधन रहित एवं चालक रहित प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नही करेगें।

Scanned with OKEN Scanner

12. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराएंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 2,3,5 एवं 6 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 08.04.2026 को 4:00 बजे अपराहन में वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा। स्थानीय (जिला–कटिहार) कोटेशनधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

13. वाहन का किराया प्रति माह स्कॉर्पियो (ए०सी०) 28000/– (अठाईस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह अधिकतम अथवा आपके द्वारा उद्वत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा, तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरूद्ध किया जाएगा।

14. विभागीय मापदंड के अनुरूप नियमानुकूल कटौती की जायेगी।

15. सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकूल वांछित कागजात यथा GST, PAN, Registration, Aadhar Card एवं शपथ पत्र जमा नहीं किए जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

16. जिला प्रशासन, कटिहार द्वारा स्कॉपियों के निर्धारित दर से अधिक उद्वत किया गया दर मान्य नहीं होगा।

(signature) 30.03.26

कार्यपालक अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार

पत्रांक– 415 /कटिहार दिनांक– 30.03.2026

प्रतिलिपि– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित (upload) करने हेतु एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ समर्पित।

(signature) 30.03.26

कार्यपालक अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार

Scanned with OKEN Scanner